संख्या- 49 /2023/RF-822/021-E-1700470

प्रेषक,

मो0 वासिफ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत मगहर,
जनपद-सन्त कबीर नगर।

नगर विकास अनुभाग- 9 लखनऊ : दिनांक 04 अक्टूबर, 2023

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-37 से ब्याज रहित ऋण के रूप में द्वितीय किश्त की धनराशि स्वीकृत करने के संबंध में।

महोदय,

उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-02/2023/आरएफ18/002-E-1681627 PDDUNVY, दिनांक-19.01.2023 एवं शासनादेश संख्या-55/2023/195/ Comp. No. 1700502, दिनांक-30.03.2023 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022-23 में पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना, अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में उक्त शासनादेशों में उल्लिखित सी0सी0 रोड निर्माण कार्य हेतु नगर पंचायत मगहर, जनपद-सन्त कबीर नगर को कुल 03 अलग-अलग कार्यों के लिए क्रमशः रू0 36.96 लाख, रू0 120.00 लाख एवं रू0 165.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में क्रमशः रू0 18.48 लाख, रू0 30.00 लाख एवं रू0 41.25 लाख अवमुक्त की गयी है।

2. उक्त धनराशि के सापेक्ष, कराये गये कार्यों की सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी, सन्त कबीर नगर द्वारा अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने की संस्तुति की गयी है। जिलाधिकारी, सन्त कबीर नगर की उक्त संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित शर्तों के अधीन नगर पंचायत मगहर, जनपद-सन्त कबीर नगर को द्वितीय किश्त की अवशेष धनराशि क्रमशः रू0 18.48 लाख, रू0 90.00 लाख एवं रू0 123.75 लाख अर्थात् कुल रू0 232.23 लाख (रू0 दो करोड़ बत्तीस लाख तेइस हजार मात्र) अनुदान संख्या-37, पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना से अवमुक्त किये जाने की मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-37, के लेखाशीर्षक "6215-जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज-02मल जल तथा सफाई-193-नगर पंचायतों /अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता-05-पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना-30-निवेश /ऋण" के नामे डाला जायेगा।
2. संबंधित निकाय द्वारा चालू कार्यों हेतु स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि का बिल जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराया जायेगा, जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी निकाय के खाते में उक्त बिल के सापेक्ष धनराशि हस्तान्तररित की जानी सुनिश्चित करेंगे।
3. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक-31 मार्च, 2024 तक करते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यालय, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
4. शासनादेश संख्या-02/2023/आरएफ18/002-E-1681627 PDDUNVY, दिनांक-19.01.2023 एवं शासनादेश संख्या-55/ 2023/195/ Comp. No. 1700502, दिनांक-30.03.2023 में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत रहेंगी।
5. उक्त धनराशि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि जिलाधिकारी प्रथम किश्त की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की जांच अपने स्तर से करा कर संतुष्ट हो लेगे, तभी द्वितीय किश्त की धनराशि का उपभोग किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही द्वितीय किश्त की धनराशि से शासनादेश संख्या-864/नौ-9-20-एल0सी0/19, दिनांक-19 जून, 2020 द्वारा भुगतान की गयी धनराशि (यदि कोई हो) की प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय **रुपये 2,32,23,000 (रुपये दो करोड़ बत्तीस लाख तेईस हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 037 **लेखा शीर्षक** 6215021930500 पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना **मानक मद** 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(मो0 वासिफ)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या- 48 /2023/RF-822/021-E-1700470, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. जिलाधिकारी, सन्त कबीर नगर।
5. कोषाधिकारी, सन्त, कबीर नगर।
6. निजी सचिव, मा0 मन्त्री, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-01, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।
9. वेब मास्टर, कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग।

आज्ञा से,

(मो0 वासिफ)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-04/10/2023

प्रेषण संख्या:- 48
आवंटन आदेश संख्या:- 001-48-2023-RF822-021-E-1700470
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज(आयोजनेत्तर-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
193 - नगर पंचायतों / अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता
05 - पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		30-निवेश/ऋण	योग
1	संत कबीर नगर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	23223000 23223000	23223000 23223000
	योग	वर्तमान प्रगामी	23223000 23223000	23223000 23223000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो करोड़ बत्तीस लाख तेइस हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो करोड़ बत्तीस लाख तेइस हजार

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव